


कार्यालय जिला न्यायाधीश, मथुरा

दिनांक: 05 मार्च, 2024

आदेश

दीवानी न्यायालय परिसर मथुरा में दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक की अवधि के लिये निम्न प्रतिष्ठानों की खुली ठेका नीलामी अलग-अलग की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति एवं प्रतिष्ठान दिनांक 22.03.2024 को समय अपरान्ह 4.30 बजे केन्द्रीय कक्ष, जिला न्यायालय, मथुरा में उपस्थित होकर ठेका नीलामी की बोली में भाग ले सकते हैं।

प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व रू0 5000 /-नगद अग्रिम धनराशि के रूप में जमा करने होंगे जो बोली स्वीकार होने के पश्चात् ठेका की धनराशि में समायोजित किये जा सकेंगे। ठेका धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि ठेका बोली अन्तिम होने पर तुरन्त जमा करनी होगी। ठेका नीलामी की विस्तृत शर्त किसी भी कार्य दिवस में केन्द्रीय नाजिर के पास/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती हैं। किसी भी अन्तिम बोली को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार जिला जज, मथुरा को होगा। अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को अग्रिम ठेका धनराशि के अतिरिक्त ठेका राशि की 10 प्रतिशत अनुबन्ध राशि स्टाम्प के रूप में, स्थाई निवास पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र तथा दो जमानतें ठेका स्वीकृति के पश्चात दाखिल करनी होंगी।


(सन्तोष कुमार III)
अध्यक्ष क्रय एवं ठेका नीलामी समिति
अपर जिला न्यायाधीश
मथुरा

1. न्यायालय परिसर में फल की चाट/जूस स्टॉल ।
 2. दस न्यायालय कक्षीय भवन में फोटो कॉपियर का संचालन दुकान नम्बर-1
 3. दस न्यायालय कक्षीय भवन में फोटो कॉपियर का संचालन दुकान नम्बर-2
 4. पुरानी मुंसफी कम्पाउण्ड (जजेज कॉलोनी) स्थित फोटोकॉपियर की दुकान नम्बर-3/जलपान गृह
- प्रतिलिपि:-**

1. न्यायालय की वेबसाइट e-court.gov.in/mathura पर अपलोड किये जाने हेतु।
2. सूचना अधिकारी, मथुरा को समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में नि:शुल्क प्रकाशन हेतु ।
3. नोटिस बोर्ड, दीवानी न्यायालय परिसर, मथुरा ।
4. नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी कार्यालय, मथुरा ।
5. नोटिस बोर्ड, जिला पंचायत, मथुरा ।
6. नोटिस बोर्ड, सदर तहसील, मथुरा ।
7. नोटिस बोर्ड, होलीगेट, मथुरा ।
8. नोटिस बोर्ड, नगरपालिका, मथुरा ।
9. नोटिस बोर्ड, माननीय जिला न्यायाधीश कार्यालय, मथुरा ।
10. दैनिक राजपथ को नि:शुल्क प्रकाशनार्थ ।
11. वृज उपहार को नि:शुल्क प्रकाशनार्थ ।
12. वृजगरिमा दैनिक को नि:शुल्क प्रकाशनार्थ ।
13. दैनिक छोटी सी बात समाचार पत्र को नि:शुल्क प्रकाशनार्थ ।